

एओबीएफ सेक्सन

1. सेवा निवृत्त अफसर/एन.ओ.के./नामांकित/ प्लेटीनम के तहत कानूनी वारिस/75 वर्ष की आयु होने पर मृत्यु अनुदान (केवल टी.ए., एन.सी.सी, एम.एन.एस आफसरों को)/निधन होने पर जो भी पहले हो; अधिकृत राशि आवंटन हेतु।
 2. अधिक जानकारी के लिए कृपया पॉलिसी में ए.ओ.बी.एफ. सैनिक अफसरों के लिए पत्र पढ़ें।
 3. अगर मृत्यु अनुदान हेतु दावा कर रहे हैं तो कृपया मृत्यु प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी संलग्न करें, (केवल एन.ओ.के./नामांकन व्यक्ति/कानूनी वारिस हेतु)
-

कल्याण परिसर

1. पूर्व सैनिकों के एन.ओ.के से संबंधित केशों के निपटान हेतु नाॅडल एजेंसी।
 2. ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए द्वारा पति के निधन के बाद उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता।
-

एडब्ल्यूएसओ

1. किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आवंटित निवास, किशत के नियत समय, परियोजना की प्रगति आदि से संबंधित कमियों के बारे में कोई शिकायत।
 2. मौलिक जानकारी के लिए एडब्ल्यूएसओ की वेबसाइट: 'awhosena.in' पर संपर्क करें।
-

डीजीआर

1. पूर्व सेवाकर्मों की सहायता और उसके दूसरे करियर द्वारा पुनर्वास की सुविधा और प्रशिक्षित हेतु।
 2. अधिक जानकारी के लिए कृपया डीजीआर की वेबसाइट 'www.dgrindia.com' पर संपर्क करें।
-

ए.डब्ल्यू.पी.ओ

1. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में सेवारत्त सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, वार्डों तथा आश्रित लोगों के लिए निजी और सर्वाजनिक क्षेत्रों में रोजगार प्राप्ति के लिए सहायता।
2. पंजीकृत व्यक्तियों की रोजगार अवसर संबंधी शिकायत को हल करने हेतु।
3. सामान्य जानकारी के लिए एडब्ल्यूपीओ वेबसाइट पर जाएं।

जानकारी के लिए www.exarmynaukri.com पर जाएं।

आर एंड डब्ल्यू सेक्शन

1. विधवाओं/युद्ध एनओके एवं शारीरिक रूप से हताहत व अपंग सैनिकों को वित्तीय सहायता करने हेतु अनुदान।
 2. मारे गए सैनिकों की विधवाओं तथा ऑपरेशन के दौरान अपंग हुए सैनिकों की शिकायतों के निपटारे हेतु नोडल एजेंसी।
-

क्यूएमजी सीएसडी

1. यूआरसी के कामकाज पर नीतियां।
 2. सीएसडी संबंधी शिकायतें, जो कामांडेंट/स्टेशन लेबल इएसएम सैल द्वारा ना सुलझाई जा सकी हैं।
-

टीए-4

1. टीए-4 सभी रिटायर्ड अफसरों (टीए अफसरों) के रिकार्ड तथा जिम्मेदारियों का संरक्षक है तथा वह सभी रिटायर्ड (टीए अफसरों) की शिकायतों को सुनने एवं उनके निवारण हेतु जिम्मेदार है।

2. किसी प्रकार की शिकायत के लिए जेसीओ/ओआरएस (टीए) अपने संबंधित रिकाइस से संपर्क कर सकते हैं।
-

ईसीएचएस

1. योग्य भूतपूर्व सेवाकर्मियों/एन.ओ.के/आश्रितों को ईसीएचएस लाभ के हकदार होंगे।
 2. क्षेत्रीय केंद्रों/पैनल में शामिल असैनिक अस्पताल संबंधी शिकायतों का निवारण।
 3. ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड प्रदान करने संबंधी शिकायतें।
 4. अधिक जानकारी के लिए ईसीएचएस की वेबसाइट www.echs.gov.in देखें।
-

पीएस डीटीई

1. एजी/पी.एस-5: नीति संबंधी मामलों का स्पष्टीकरण जो केवल पेंशन, ग्रेचुएटी और अनुग्रह राशि से संबद्ध हो।
 2. एजी/पी.एस-4(कार्यान्वयन) कार्यान्वयन संबंधी सभी प्रकार के पेंशन मुद्दे, पात्रता और तथा लाभ जिनमें विकलांगता पेंशन संबंधी अधिनिर्णय तथा लाभ व सभी ओहदां के सभी अफसर और वे भी, जो पहली बार अपील कर रहे हैं।
 3. एजी/पी.एस-4 (दूसरी अपील) दूसरी बार की गई सभी अपीलों की सुनवाई व्यक्तिगत तौर पर एमपी 5 एवं 6/रेकार्ड ऑफिस के माध्यम से।
 4. पी.एस-4 (कानूनी) व्यक्तिगत तौर पर पेंशन संबंधी मामलों की वस्तुस्थिति।
-

एमओवी डीटीई

1. पूर्व सैनिकों को विभिन्न एअर लाइंस की तरफ से दी जाने वाली रियायती दरों पर हवाई यात्रा की पात्रता।
 2. वीरता पुरस्कार विजेताओं और विकलांग सैनिकों/एनओके को रेल यात्रा में रियायत।
 3. एमसीओ संबंधी शिकायतें।
 4. रेलवे स्टेशनों पर स्थित 'सैनिक आराम गृह' में आवास संबंधी शिकायत।
-

आरटीजी डीटीई

1. पॉलिसी जिनमें विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए पात्रता शामिल है।
 2. पूर्व सैनिकों के संबंधियों को भर्ती में दी जाने वाली रियायतें।
 3. बीआरओ द्वारा रैली की रूपरेखाएँ जिसकी जानकारी इंडियन आर्मी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
-